

## Chapter - 13

13.1 कृपया निम्न प्रारूप पर जानकारी उपलब्ध करायें :

- |     |   |  |
|-----|---|--|
| 1-  | कार्यक्रम / योजना का नाम:   | वैम्बे आवास योजना(परियोग सं-18493)   |
| 2-  | कार्यक्रम / योजना के प्रभावी रहने की समय सीमा   | 3/2005<br>आश्रयहीन को आवास उपलब्ध कराना।   |
| 3-  | कार्यक्रम का उद्देश्य   | 2151 भवन   |
| 4-  | कार्यक्रम के भौतिक एवं वाणिज्यिक लक्ष्य(विगत बारे में)  | नगरीय क्षेत्रों की मलिन बस्तियों में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे तथा दु0 आवास के बहु परिवार पात्र हैं जिनके रहने की व्यवस्था की जानी है। |
| 5-  | लाभार्थी को पात्रता   |  |
| 6-  | पूर्वपेक्षायें  |  |
| 7-  | अनुदान / सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया   | 50 प्रतिशत अनुदान हड्डो द्वारा भारत सरकार के क्रम में  |
| 8-  | पात्रता निश्चित करने के लिये मापदण्ड  | पात्रता भारत सरकार के दिशा निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी/अध्यक्ष (संबंधित दूड़ा)  |
| 9-  | दिये जाने वाले अनुदान / सहायता का विवरण(जिसमें अनुदान की राशि का विवरण हो)  | 50 प्रतिशत (17500/-)   |
| 10- | अनुदान / सहायता के वितरण की प्रक्रिया   | भवनों की लागत का 50 प्रतिशत सीधे कम करते हुए शेष की 15 वर्षों में वसूली।   |
| 11- | आवेदन करने के लिये हॉ/किससे सम्पर्क   | <u>दूड़ा का भालू</u>   |
| 12- | आवेदन शुल्क(जहाँ उचित हो)   | रु0 5000/-   |
| 13- | अन्य शुल्क(जहाँ उचित हो)  | -  |
| 14- | आवेदन पत्र का प्रारूप(यदि आवेदन स्नादे कागज पर होता है तो कृपया उसका उल्लेख करते हुए यह बतायें कि आवेदन कर्ता आवेदन करते समय किन बातों का वर्णन करें) | सूड़ा/दूड़ा से संबंधित<br>-तदैव-   |
| 15- | रास्ताओं की सूची  | -तदैव-   |
| 16- | सन्दर्भका का प्रारूप  |  |
| 17- | प्रदिव्या से रास्तिरामरण होने पर कहाँ सम्पर्क करें।   | रथानीय दूड़ा कार्यालय  |
| 18- | उपलब्ध बनराशि का पिवरण( विभिन्न स्तरों पर जैसे कि जिला स्तर पर, ज्ञाक स्तर पर इत्यादि)  | दूड़ा/सूड़ा  |
| 19- | रास्तिराम की सूची (जैसा प्रारूप पर)   | दूड़ा/जनपदकारी संस्था के सम्पर्क प्रबन्धक कार्यालय में)  |

